Tele: 23014594
E-mail : dircscc-einc-army@nic.in

CC-85604/1/Surveyor Cadre/RR/Vol-III/CSCC/26 11 Apr 2016

ENGINEER–IN–CHIEF'S BRANCH
DIRECTORATE GENERAL OF PERS/CSCC

SRO – 16 FOR THE POST OF EXECUTIVE ENGINEER (QS&C)

1. Ref UPSC letter No. F.No.3/4(I)/2014-RR dated 01 Apr 2015.

2. A copy of recruitment rules of Executive Engineer (QS&C) Group 'A' Gazetted post of Ministry of Defence, Military Engineer Services bearing SRO No.16 published 09 May 2015 is forwarded herewith for your information please.

(Perveen Kumar)
Dir (Pers), CSCC

MoD/D(Apptt)
Sena Bhawan

DoP&T
North Block

Min of Law, OLW
Shashtri Bhawan

Copy to :-

E1DPC-1
E1B Section } A copy of above recruitment rule is attached herewith.

Automation Cell - A copy of the above recruitment rule is enclosed herewith for upload the same on MES website.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, मई 3, 2015—मई 9, 2015, शनिवार/वैशाख 13—वैशाख 19, 1937

No. 7] NEW DELHI, MAY 3, 2015—MAY 9, 2015, SATURDAY/VAISAKHA 13—VAISAKHA 19, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

का.नि.आ. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियरी सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उसका संबंध कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियरी सेवा में कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियरी सेवा कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये तारीख 17 फरवरी, 2005 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन और वेतन बैंड/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा)	*48 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, रु. 15,600-39,100 और ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) से प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** (क) 66.67 प्रतिशत ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति जो वेतनमान 8,000-13,500 रु. (पूर्व पुनरीक्षित) वेतनमान वर्तमान रूप में पुनरीक्षित वेतन बैंड 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. की श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखते हैं, या भारत सर्वेक्षण संस्थान से उत्तीर्ण हैं अथवा अंतिम परीक्षा में भाग ले रहे हैं । (ख) 33.33 प्रतिशत ऐसे सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति जो वेतनमान 6500-10500 रु. (पूर्व पुनरीक्षित) वर्तमान रूप में पुनरीक्षित वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में । (i) जो श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा करते हैं और सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखते हैं या भारत सर्वेक्षण संस्थान से उत्तीर्ण हैं अथवा अंतिम परीक्षा में भाग ले रहे हों, या (ii) जो श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा रखते हैं या भारत सर्वेक्षण संस्थान से भवन और परिमाण सर्वेक्षण परीक्षा में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं । **टिप्पण 1:** उपरोक्त (ख) के संबंध में, प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के प्रति निदेश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी-अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो डिग्री रखते हैं और सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो डिप्लोमा रखते हैं की पात्रता सूची तैयार करते समय यह उपबंध पृथक्तः लागू होंगे । **टिप्पण 3:** सैनिक इंजीनियर सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 के आरंभ की तारीख अर्थात् 17 फरवरी, 2005 को चार वर्ष की सेवा रखने वाले सभी सहायक कार्यपालक इंजीनियर

(11)

(परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) जो श्रेणी में पद धारण किए हुए हैं और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं या भारत सर्वेक्षण संस्थान से भवन और परिमाण सर्वेक्षण परीक्षा में इंटरमीडिएट पास हैं उन्हें भी कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) के लिए प्रोन्नति पर उपरोक्त खंड (क) और (ख) के प्रवृत होने से पहले विचार किया जायेगा ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन- (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के अनुसार का.नि.आ. 25, तारीख 27 मार्च, 2014 द्वारा अधिसूचित सेना इंजीनियर सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) समूह 'क' पद के लिए भर्ती नियम भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 17 फरवरी, 2005 से कार्यान्वित किए जाने थे, तथापि, टंकण संबंधी त्रुटि के कारण इनका अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि वे राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे जिन्हें संशोधित किया जाना अपेक्षित है ।

(ख) सेना इंजीनियर सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) समूह 'क' पद एक संगठित समूह 'क' सेवा है । संगठित समूह 'क' सेवा में ज्येष्ठ समय वेतनमान की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता कनिष्ठ समय वेतनमान में नियमित चार वर्ष की सेवा है । अत: वेतन बैंड 3 ग्रेड वेतन 5400 रुपये सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में पांच वर्ष की पात्रता सेवा वेतन बेंड, ग्रेड वेतन 6600 रु. में कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए चार वर्ष के रूप में प्रतिस्थापित की जाती है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने के किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति [सहायक कार्यपालक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए] निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य (iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) समूह 'ख' अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए और इन नियमों के किसी उपबंधों का संशोधन करने या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति [सहायक इंजीनियर (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा) की प्रोन्नति के संबंध में पर विचार करने के लिए] निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(i) अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष
(ii) उप-महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा	—सदस्य
(iii) उप सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य

[फा. सं. पी. सी. 85604/1/सर्वेक्षण का काडर/आर आर/भाग-3/सीएससीसी/131/र.(नि.)/2015]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th April, 2015

S.R.O. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence , Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contracts Cadre), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts) in the Military Engineer Services under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence , Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contracts Cadre), Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 17th February, 2005.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts)	*84 (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3, Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for those promoted from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts)

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** (a) 66.67% from Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract) in the pay scale of Rs. 8,000-13,500 (pre-revised) now revised as Pay Band - 3

(11)

Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 5400 with four years regular service in the grade and possessing Degree in Civil Engineering from a recognised University; or passed final or direct final examination of Institution of Surveyors, (India).

(b) 33.33% from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) in the pay scale of Rs. 6500-10500 (Pre-revised) now revised as Pay Band - 2, Rs. Rs.9,300 - 34,800 Grade Pay of Rs. 4600.

(i) with eight years regular service in the grade and possessing Degree in Engineering (Civil), or passed final or direct final examination of Institution of Surveyors (India).

or

(ii) with ten years regular service in the grade and possessing Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institution or passed Intermediate in Building and Quantity Surveying Examination of Institution of Surveyors (India).

Note 1.- In respect of (b) above, the eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. This provision shall be applicable separately to Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) possessing degree and Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts) possessing Diploma while preparing the eligibility list.

Note 3.- All Assistant Executive Engineers (Quantity Surveying and Contracts) holding the post as on the 17th February, 2005, with four years service in the grade and possessing Degree or Diploma in civil engineering from a recognised university or institution or passed intermediate in Building and Quantity Surveying examination of institution of Surveyor (India), shall also be considered for promotion to Executive Engineer (Quantity Surveying and Contracts) before the provisions at (a) and (b) above are operated.

(11)

Explanatory Memorandum.- (a) As per the approval of the Department of Personnel and Training and Union Public Service Commission, the recruitment rules for the Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contract) Group 'A' posts, notified, vide S.R.O. 25 dated the 27th March, 2014, was to be implemented with retrospective effect, that is, from 17th February, 2005, however, due to typographical error it was mentioned in the notification that they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette which is required to be amended.

(b) Military Engineer Services (Quantity Surveying and Contract) Group 'A' posts is an organised Group 'A' Service. In the organised Group 'A' Service, the eligibility for promotion to the grade of Senior Time Scale is four years regular service in the Junior Time Scale. Therefore, eligibility service of five years in the grade of Assistant Eexecutive Engineer in Pay Band - 3. Grade Pay Rs. 5400 is substituted as four years for promotion to the grade of Eexcutive Engineer in the Pay Band - 3, Grade Pay Rs. 6600. It is clarified that by giving retrospective effect to the rules, no one is adversely affected.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion from Assistant Executive Engineer (Quantity Surveying and Contract) consisting of : (i) Joint Secretary, Ministry of Defence —Chairman (ii) Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence —Member **Group 'A' Departmental Promotion Committee [for considering Promotion from Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contracts)] consisting of :** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman (ii) Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary for promotion from Group 'B' officers of Assistant Engineer (Quantity Surveying and Contract) and for amending or relaxing any provision of these rules.

[F. No. PC-85604/1/Surveyor Cadre/RR/Vol-III/CSCC/131/D(Appts.)/2015)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Col Rajat Baijal

Digitally signed by Col Rajat Baijal
DN: c=IN, st=KASHMIR, o=E-IN-C Branch Army MOD,Automation Cell EINC, ou=nonnic-mail-admin, cn=Col Rajat Baijal, email=autocell-einc-army@nic.in
Date: 2016.04.13 17:25:48 +05'30'